



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची

JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2019 के परीक्षाफल में संशोधन एवं उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 37/2019

एतद् द्वारा सभी छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा-2019 के विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के जिन छात्रों के अंक पत्रक में किसी भी प्रकार की अभ्युक्ति यथा Invalid, Withheld, Incomplete, Absent है तो संबंधित +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्राचार्य द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्रों (पंजीयन रसीद, प्रवेश पत्र और अंक पत्र) की छाया प्रति लगाकर परिषद् कार्यालय में दिनांक 18.06.2019 तक किसी भी कार्य दिवस को जमा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का परीक्षाफल संशोधन हेतु आवेदन परिषद् में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

उक्त आवेदन परिषद् कार्यालय, राँची, संधाल परगना प्रमण्डल के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका एवं पलामू प्रमण्डल के लिए प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में निर्धारित अवधि तक जमा लिये जायेंगे। 2) जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तिक से संतुष्ट नहीं है, वे स्कुटनी के लिए अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ ₹500/- (पाँच सौ रुपये) मात्र प्रति विषय की दर से शुल्क की कुल राशि "JAC FUND" के नाम से देय एवं राँची कार्यालय के लिए राँची में भुगतें, संधाल परगना प्रमण्डल के लिए दुमका में भुगतें तथा पलामू प्रमण्डल के लिए डाल्टेनगंज में भुगतें बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची, क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका तथा प्रमण्डलीय कार्यालय, मेदिनीनगर में दिनांक 18.06.2019 संध्या 5:00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अवश्य जमा करेंगे। आवेदन के साथ छात्र/छात्रा का इंटरनेट से निकाले गये अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

i) स्कुटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा:-

- (क) अंदर के पृष्ठों में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तो उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जायेगा।
- (ख) अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जायेगा।
- (ग) अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जायेगा।
- (घ) स्कुटनी के लिए आवेदन देनेवाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्कुटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

ii) ऐसे छात्र/छात्रायें जो इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि संस्थाओं में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर चयनित हो चुके हैं या स्पेशल रूप में त्वरित प्रक्रिया के तहत स्कुटनी हेतु आवेदन देना चाहते हैं, वे सीधे परिषद् में दिनांक 04.06.2019 तक आवेदन कर सकते हैं। परन्तु इसके लिए उन्हें आवेदन के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा, 2019 का प्रवेश पत्र, इंटरनेट से निकाला गया अंक पत्र तथा प्रति विषय ₹1000/- की दर से शुल्क की कुल राशि का बैंक ड्राफ्ट जो "JAC FUND" के नाम से देय तथा राँची में भुगतें होंगे संलग्न करना आवश्यक होगा।

iii) निर्धारित तिथि को 5:00 बजे अपराह्न के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा के स्कुटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

iv) निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्कुटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,

ह./- (महीप कुमार सिंह)

सचिव,

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/मा.गो./5382/10/SECY/276/19

Dt. 17.05.2019

D.O.P. 18.05.2019